न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 120/16 तारीख रजू :– 18.10.2016

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य आर.ए.एस.

उनवान

1 रामलाल पुत्र दुर्गालाल, आयु 82 साल, जाति ब्राह्मण, निवासी मिर्जापुर तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

2 माया देवी पत्नि कैलाश चन्द, आयु .... साल, जाति ब्राह्मण, निवासी मिर्जापुर तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

वादीगण

बनाम

1 जयमन्ती देवी पत्नि ठंडीराम, जाति मीना, निवासी मिर्जापुर तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

2 ठंडी पुत्र जौहरी, जाति मीना, निवासी निवासी मिर्जापुर तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

3 तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार टोडाभीम ज़िला करौली राज.।

प्रतिवादीगण

<u>*दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा*</u>

उपस्थित :– 1 सुनील जिन्दल एडवोकेट:– वादीगण की ओर से

2 प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही है।

निर्णय दिनांक– 03.01.2017

यह है कि दावे के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 362 रकबा 4 ऐयर गैरमुमकिन रास्ता, 365 रकवा 29 ऐयर चाही, 366 गैरमुमकिन चाह, 368 रकबा 43 ऐयर बारानी स्थित ग्राम मिर्जापुर तह0 टोडाभीम में जिसमें

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा, वादी नं. 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 द्वारा विवादित आराजी का मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसमें वादीगण की एक जगह भूमि पर काश्त करते है। तथा दोनो वादीगण की भूमि एक जगह स्थित है। लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य रिकार्ड में बंटवारा नही होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 व उसके पति प्रतिवादी नं0 2 के मध्य आये दिन डोल मेढ का विवाद रहता है। इसलिये दिनांक 20.09.2016 को वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 से उक्त आराजीयात बाबत् विधिवत् तकास्मा कराने का कहा तो प्रतिवादी नं0 1 तकास्मा कराने से साफ इंकार कर दिया और वादीगण को अपने कब्जे की भूमि से प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा बेदखल करने की धमकी देने के साथ वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करना पडा।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये प्रतिवादीगण की तरफ से बावजूद तामील कोई उपस्थित नही हुये और प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर पत्रांवली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श–1 पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में वादी रामलाल का शपथ पत्र पेश किया। अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस अपने वाद पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया तथा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी नं0 2 मायादेवी ने वादी नं0 1 के पुत्र की पत्नि है। अर्थात् वादीगण एक परिवार के सदस्य होने के कारण वादीगण उक्त आराजी के 2/3 हिस्सा पर एकजगह काबिज है। और उन्हे एक ही जगह बंटवारे में दिया जावे।

...ना कलक्टर
...टोम (करौली)

Scanned by CamScanner

हमने वादीगण की बहस पर मनन किया तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 का अवलोकन किया। जिसमें वादीगण 2/3 हिस्से में तथा प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्से की रिकार्डेड खातेदारी दर्ज है। इसलिये वादीगण का दावा स्वीकार करते हुये। वादीगण के हक में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

दावा वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 362 रकबा 4 ऐयर, गैरमुमकिन रास्ता, 365 रकबा 29 ऐयर चााही, 366 गैरमुमकिन चाह, 368 रकबा 43 ऐयर बारानी स्थित ग्राम मिर्जापुर तह0 टोडाभीम में वादीगण का 2/3 हिस्से का मौके पर एक जगह तथा प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्से की खातेदारी अलग कर बंटवारा स्कीम तीन प्रतियो में मय ट्रेश इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार टोडाभीम को C.A. Rs.200/- पर बंटवारा कमीशनर नियुक्त जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

जगदीश आर्य

उपजिला कलेक्टर

टोडाभीम (करौली)

टोडाभीम

Scanned by CamScanner